

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर
क्रमांक / कैम्प / 2021 / 420

दिनांक 08.11.2021

उपखण्ड
जिला- सीकर

आदेश

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार दांताराम के आधार पर गांव खूड प. ह. खूड
श्री कुमारी अ. नं. 840, 841 के खालेदार लाही देवी एवं रामराम
के स्थान पर लाही देवी एवं रामलाल फर्ज करने के आदेश
दिये जाते हैं। इसी की आधार पर दांताराम न होने
राजस्व रिकार्ड में अमल परामा होने। शेष जमावगी बडातुट
रहें।

तहसीलदार दांतारामगढ निर्देशित किया जाता है कि आदेश के अनुसार राजस्व रिकार्ड में
अमलदारामद कर पालना से न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रशासन नं. 10 कांग अभियान -2021

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

राजेश कुमार शीखा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर